

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या -98/2023

गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एस.एस.डब्ल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम

1- सुभाषचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोंडेंट/वादी

2- रामदेव पुत्र बख्तावर जाति मेघवाल निवासी बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला झुन्झनू

3- छोटूराम } पिसरान रामदेव जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व

4- रामदेव } जिला हनुमानगढ़।

5- जीवनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6- भूखीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7- रंजी देवी पुत्री सुरजाराम पत्नि पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी खिचियां तहसील शंकरसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

8- कुम्भाराम } पिसरान बीरबल जाति मेघवाल निवासी चिस्तियां तहसील व

8- बंशीलाल } जिला हनुमानगढ़।

10- लालूराम }

11- बिदामी पत्नी सुलतान } जाति मेघवाल निवासी चक नम्बर-14

12- जगदीश } पिसरान सुलतान } एल.एल.डब्ल्यू (जोड़कियां) तहसील व

13- बालीराम } जिला हनुमानगढ़।

14- बिरमा पुत्री सुलतान पत्नी देवप्रकाश जाति मेघवाल (चालिया) निवासी वार्ड नम्बर-6, खारा चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

15- रजनी देवी पुत्री सुलतान पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल (बरोड़) साकिन चक 4 एम.एस. आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

16- संतरो पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

Leav

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

- 17- सरोज पुत्री रामप्रताप पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल (डालू) साकिन मम्मड़खेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 18- कालूराम पुत्र स्व.मनीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 19- भागवंती देवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी स्व.भागीरथ जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 20- जैतादेवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 21- कमलादेवी पत्नी स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 22- राजपाल पुत्र स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 23- पुष्पादेवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 24- रानीदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी विनोद जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 25- मन्जूदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी मलोकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 26- संतो पुत्री फूसाराम पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी एक पावली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
- अमरचन्द पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी राईयांवाली (बीरदवाल हैड के पास) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 28- मीरादेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- प्रबंधक, ओ.बी.सी. कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 30- तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।



— रेस्पोंडेंट

(2) अपील संख्या -137/2023

सुभाषचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— अपीलांत

बनाम

- 1- रामदेव पुत्र बख्तावर जाति मेघवाल निवासी बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला झुन्झनू
- 2- छोटूराम } पिसरान रामदेव जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व
- 3- रामदेव } जिला हनुमानगढ़।

Handwritten Signature
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

- 4- जीवनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5- भूरीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6- रजो देवी पुत्री सुरजाराम पत्नि पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 7- कुम्भाराम } पिसरान बीरबल जाति मेघवाल निवासी चिरितियां तहसील व
- 8- बंशीलाल } जिला हनुमानगढ़।
- 9- लालूराम }
- 10- बिदामी पत्नी सुलतान } जाति मेघवाल निवासी चक नम्बर-14
- 11- जगदीश } पिसरान सुलतान } एल.एल.डब्ल्यू (जोड़कियां) तहसील व
- 12- बालीराम } जिला हनुमानगढ़।
- 13- बिरमा पुत्री सुलतान पत्नी देवप्रकाश जाति मेघवाल (घालिया) निवासी वार्ड नम्बर-6, खारा चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 14- रजनी देवी पुत्री सुलतान पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल (बरोड़) साकिन चक 4 एम.एस. आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 15- संतरो पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 16- सरोज पुत्री रामप्रताप पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल (डालू) साकिन मम्मड़खेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 17- कालूराम पुत्र स्व.मनीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 18- भागवंती देवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी स्व.भागीरथ जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 19- जैतादेवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 20- कमलादेवी पत्नी स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 21- राजपाल पुत्र स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 22- पुष्पादेवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 23- रानीदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी विनोद जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 24- मन्जूदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी मलोकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 25- संतो पुत्री फूसाराम पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी एक पावली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
- 26- अमरचन्द पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी राईयांवाली (बीरदवाल हैड के पास) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।



Lshno
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

- 27- मीरादेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
 28- प्रबंधक, ओ.बी.सी. कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 29- तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 30- गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एस.एस.डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2021
 द्वारा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
 अनवान "सुभाषचन्द्र बनाम रामदेव आदि" प्र. सं. 08/2012

श्री, राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलांत अपील सं0 2023/98
 श्री विपिन स्वामी अधिवक्ता अपीलांत अपील सं0 2023/137

निर्णय

दिनांक 27.07.23



अपीलांत व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "सुभाषचन्द्र आदि बनाम रामदेव आदि" वाद संख्या 08/2012 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी संख्या-1 के दादा तथा वादी संख्या-2 के ससुर स्व.मामराज के नाम से चक नं0 15 एलएलडब्ल्यू में 9.346 हैक्टेयर यानि 37 बीघा भूमि दर्ज कागजात पटवार थी। प्रश्नगत भूमि में वादीगण के पिता व पति स्व.पन्नाराम का 1/6 हिस्सा यानि 6 बीघा 13) बिस्वा का हक व अधिकार बनता है तथा स्व.पन्नाराम के जायज व कानूनी वारिसान वादीगण ही हैं जबकि भू-प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकारिता के कतई नुमाईशी व फर्जी तरीके से छोटूराम व रामदेव नाम के दो पुत्र और दिखाकर प्रश्नगत भूमि उनके नाम दर्ज कर दी गयी है जो कतई फर्जी तरीके से एवं विधि विरुद्ध रूप से दर्ज की गयी है जिससे वादीगण के हक व अधिकार प्रभावित होते हैं तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन करवा कर अपने नाम घोषणा करवाने के कानूनी हकदार हैं। प्रश्नगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन करवाकर अच्छी मंदा के हिसाब से खाता विभाजन किया जाकर मुताबिक हक व हिस्सा काबिज होने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 17 को कहा तो कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे आखिर आज से 10 रोज पूर्व मुकाम जोड़कियां में कतई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है। प्रश्नगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 ने अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से वादीगण व अन्य सम्बंधित प्रतिवादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा वे अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं और न ही प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 का कभी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादीगण प्रश्नगत भूमि जो स्व.मामराज के हक व हिस्सा की 37 बीघा भूमि है, में से 1/3 हिस्सा यानि 12 बीघा 7 बिस्वा के हकदार हुए तथा

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

उतनी ही भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। प्रश्नगत भूमि में से वादीगण के हक व हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त न होकर कुछ भूमि अन्य प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है जो खाता विभाजन किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण भूमि का कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या-2 छोदूराम पुत्र पन्नाराम व प्रतिवादी संख्या-3 रामदेव पुत्र पन्नाराम नाम के कोई व्यक्ति नहीं है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा कतई गलत रूप से उनके नाम इन्द्राज किया गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। स्व.पन्नाराम के केवल वादीगण ही जायज व कानूनी वारिसान हैं इनके अलावा स्व. पन्नाराम का कोई वारिस नहीं है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम घोषणा करवाने तथा अपने हक व हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाकर सम्पूर्ण हिस्सा का कब्जा प्राप्त करने के कानूनी मुश्तहक हैं। प्रतिवादी संख्या-21 के भूमि रहन होने तथा प्रतिवादी संख्या-22 भूस्वामी होने के कारण फरीक दावा बनाया गया है ताकि दावा में कोई नुक्स आरिज न हो। वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्यायशुल्क पर सुनवाई हेतु अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद पत्र के जरिये वादीगण ने इस आशय का अनुतोष चाहा कि करार दिया जावे कि प्रश्नगत भूमि चक 18 एलएलडब्ल्यू-ए खाता संख्या 66/43 में से वादीगण 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि के हकदार व खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम गलत रूप से अंकित किया गया है वह कलमजन किया जावे। वाद इस्तकरार हक वादीगण का खाता अच्छी मंती के हिसाब से अलग कायम किया जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे तथा वादीगण को मुताबिक खाता विभाजन कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश पारित किये। वादीगण ने दिनांक 30.09.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर अनुतोष चाहा कि वाद पत्र के पैरा संख्या-1 की पंक्ति संख्या-2 में नाम से के आगे "चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. "ए" चक नं0 16 एल.एल.डब्ल्यू."ए" वाद पत्र के पैरा संख्या-3 में 6 बीघा 13) बिस्वा की जगह "6 बीघा 3) बिस्वा" पैरा संख्या-3 की पंक्ति संख्या-5 में दो पुत्र और दिखाकर के आगे "तथा रामदेव पुत्र बख्तावर का नाम कतई फर्जी दर्ज करवा कर" पंक्ति संख्या-8 में प्रतिवादी संख्या 3 की जगह "प्रतिवादी संख्या 1 ता 3" वाद पत्र के पैरा संख्या-5 की दूसरी पंक्ति में मौखिक रूप से के आगे "वादी संख्या-1 की 10.00 बीघा व वादीया संख्या 2 की 5.00 बीघा कुल 15.00 बीघा" तथा वाद पत्र के अनुतोष क में खाता संख्या 66/43 के आगे "चक नं0 16 एल एल डब्ल्यू "ए" खाता संख्या 99/91 में से वादी संख्या-1 का 10.00 बीघा तथा वादीया संख्या 2 की 5.00 बीघा कुल 15.00 बीघा" तथा प्रतिवादी संख्या के आगे "1 ता 3" अंकित किया जाकर उसी अनुसार वाद पत्र में दुरुस्ती फरमाई जाकर संशोधित वाद पत्र पेश किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2014 संशोधित निर्णय दिनांक 29.04.2014 व संशोधित डिक्री दिनांक 13. 05.2014 पारित किये गये। तत्पश्चात् मनीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18.11.2015 को स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या-23 गुरबचन सिंह द्वारा आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत होने पर वादी



Handwritten signature

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की अनापति होने पर प्रतिवादी संख्या-23 को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के दादा मामराज पुत्र मानाराम के नाम चक 16 एलएलडब्ल्यू में कुल 46 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि थी। उक्त 46 बीघा 15 बिस्वा भूमि कालान्तर में चक 16 एल.एल.डब्ल्यू. व चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. में पैमूद हुई। मामराज ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 13.06.1974 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि दी व प्रतिवादी संख्या 17 मनीराम को चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 1, 2, 7 से 13 व चक 16 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 105/232 किला नम्बर 5, 6, 15 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा व वादी सुभाष पुत्र पन्नाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 1, 10, पत्थर नम्बर 106/230 किला नम्बर 20, 21 व चक 16 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 105/230 के किला नम्बर 15 ता 17, 24, 25 कुल 9 बीघा कृषि भूमि दी तथा मामराज ने अपने जीवनकाल में ही 2.478 हैक्टेयर कृषि भूमि सुन्दर जोजा बीरबल को विक्रय कर दी। इस प्रकार मामराज के पास मात्र 9 बीघा 3 बिस्वा शेष रही।

मामराज ने अपने जीवनकाल में ही वादी संख्या-1 सुभाषचन्द्र व सुरजाराम तथा मनीराम को कृषि भूमि दे दी थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को अपने पिता मामराज से प्राप्त चक 15 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि में से सुरजाराम ने चक 15 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 12, 19 कुल 3 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 छोटूराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 20, 21 कुल 4 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1978 को रामदेव पुत्र बख्तावरराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी। इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम ने पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 22, 23 कुल 2 बीघा कृषि भूमि रामदेव पुत्र पन्नाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 को विक्रय कर दी। वादीगण का छोटूराम व रामदेव द्वारा खरीद की गई भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम व प्रतिवादी संख्या 17 मनीराम के हक, हिस्सा व अधिकार की थी। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी नहीं है व ना ही वादीगण प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या-1 रामदेव पुत्र बख्तावर व प्रतिवादी संख्या-2 छोटूराम पुत्र पन्नाराम व प्रतिवादी संख्या-3 रामदेव पुत्र पन्नाराम ने प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम से विशिष्ट किलों की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। भू-प्रबंध विभाग ने कोई गलत इन्द्राज नहीं किया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी



Handwritten signature

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़


नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 ने जवाबदावा पेश कर वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या-23 गुरबचन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दादा मामराज पुत्र मानाराम के नाम चक 16 एलएलडब्ल्यू में कुल 46 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि थी। उक्त 46 बीघा 15 बिस्वा भूमि कालान्तर में चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) व चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) में पैमूद हुई। मामराज ने अपने जीवनकाल में ही 13.674 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/131 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि दी व प्रतिवादी संख्या-17 मनीराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 1, 2, 7 से 13 व चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 105/232 किला नम्बर 5, 6, 15 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा व वादी सुभाष पुत्र पन्नाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 1, 10, व पत्थर नम्बर 106/230 किला नम्बर 20, 21 व चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 105/230 किला नम्बर 15 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 9 बीघा कृषि भूमि दी तथा मामराज ने अपने जीवनकाल में 2.478 हैक्टेयर कृषि भूमि सुन्दर जोजा बीरबल को विक्रय कर दी। मामराज ने अपने जीवनकाल में ही वादी संख्या-1 सुभाष, सुरजाराम तथा मनीराम को कृषि भूमि दे दी तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को अपने पिता मामराज से प्राप्त चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि में से सुरजाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 12, 19 कुल 3 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 छोटूराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 20, 21 कुल 4 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1978 को रामदेव पुत्र बख्तावरराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम ने पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 22, 23 कुल 2 बीघा कृषि भूमि रामदेव पुत्र पन्नाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 को विक्रय कर दी। वादी का छोटूराम व रामदेव द्वारा खरीद की गई भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध मिथ्या व आधारहीन कथन किये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम व प्रतिवादी संख्या 17 मनीराम के हक व अधिकार की थी जो उन्होंने विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या-1 रामदेव ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि 1.012 हैक्टेयर मिन प्रतिवादी संख्या-23 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.2012 को विक्रय कर दी। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्सा यानि वादी संख्या-1, 10 बीघा व वादी संख्या-2, 5 बीघा भूमि की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 105/230 किला नम्बर 6, 7, 14 व चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/230 किला नम्बर 20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 के किला नम्बर 1, 10



Lario
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

कुल 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि पर कब्जा है तथा वह इस हद तक ही खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या-1 रामदेव पुत्र बख्तावर, प्रतिवादी संख्या-2 छोटूराम पुत्र पन्नाराम व प्रतिवादी संख्या-3 रामदेव पुत्र पन्नाराम ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम से विशिष्ट किलों की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। भू-प्रबंध विभाग ने कोई गलत इन्द्राज नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या-23 ने काउन्टर क्लेम के जरिये कथन किये कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दादा मामराज पुत्र मानाराम के नाम चक 16 एलएलडब्ल्यू में कुल 46 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि थी। उक्त 46 बीघा 15 बिस्वा भूमि कालान्तर में चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) व चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) में पैमूद हुई। मामराज ने अपने जीवनकाल में ही 13.674 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/131 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि दी व प्रतिवादी संख्या-17 मनीराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 1, 2, 7 से 13 व चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 105/232 किला नम्बर 5, 6, 15 कुल 9 बीघा 16 बिस्वा व वादी सुभाष पुत्र पन्नाराम को चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 1, 10, व पत्थर नम्बर 106/230 किला नम्बर 20, 21 व चक 16 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 105/230 किला नम्बर 15 ता 17, 24, 25 कुल तादादी 9 बीघा कृषि भूमि दी तथा मामराज ने अपने जीवनकाल में 2.478 हैक्टेयर कृषि भूमि सुन्दर जोजा बीरबल को विक्रय कर दी। वस्तुतः मामराज ने अपने जीवनकाल में ही वादी संख्या-1 सुभाष, सुरजाराम तथा मनीराम को कृषि भूमि दे दी थी तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम को अपने पिता मामराज से प्राप्त चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 कुल 9 बीघा कृषि भूमि में से सुरजाराम ने चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 12, 19 कुल 3 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 छोटूराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 9, 11, 20, 21 कुल 4 बीघा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1978 को रामदेव पुत्र बख्तावरराम जाति मेघवाल को विक्रय कर दी। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम ने पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 22, 23 कुल 2 बीघा कृषि भूमि रामदेव पुत्र पन्नाराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.05.1977 को विक्रय कर दी। वादी का छोटूराम व रामदेव द्वारा खरीद की गई भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध मिथ्या व आधारहीन कथन किये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पिता सुरजाराम व प्रतिवादी संख्या-17 मनीराम के हक व अधिकार की थी जो उन्होंने विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या-1 रामदेव ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि 1.012 हैक्टेयर मिन प्रतिवादी संख्या-23 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.2012 को विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या-23 ने प्रतिवादी संख्या-1 के हक व हिस्सा की 1.012 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.2012 के जरिये खरीद की है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज




 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़

क्रमशः 1.252 हैक्टेयर व .506 हैक्टेयर तथा मनीराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज .102 हैक्टेयर तादादी 1.860 हैक्टेयर भूमि पर अर्सा दराज 30 साल पूर्व से बिना किसी रोक टोक के निर्विवादित रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या-23 का अपनी खरीदशुदा 4 बीघा भूमि सहित चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/231 के किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 व पत्थर नम्बर 106/232 के किला नम्बर 3, 7/. 215, 7, 8, 11/.024 12/.076, 13/.025 तादादी 2.872 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथ्य इस तथ्य को वादीगण ने स्वीकार भी किया है। प्रतिवादी संख्या-23 इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि मिन प्रतिवादी 1.012 हैक्टेयर की बजाए उपरोक्त 2.872 हैक्टेयर भूमि का खातेदार है तथा राजस्व अभिलेख में 1.012 हैक्टेयर की बजाए 2.872 हैक्टेयर भूमि का अंकन अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के खाता संख्या 66/43 में रामदेव पुत्र पन्नाराम, छोटूराम पुत्र पन्नाराम, मनीराम पुत्र मामराज, सुन्दर जोजा वीरबल, फूसाराम, मनीराम, सुरजाराम, नानूदेवी, मीरांदेवी, कलावती का नाम गलत रूप से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकित चला आ रहा है जबकि उपरोक्त खाता में इन व्यक्तियों का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है इसलिए उपरोक्त व्यक्तियों का नाम चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के खाता संख्या 66/43 से विलोपित किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या-23 ने जरिये काउन्टर क्लेम इस आशय की घोषणा चाही कि प्रतिवादी संख्या-23 अपनी खरीदशुदा 4 बीघा भूमि अर्थात 1.012 हैक्टेयर भूमि सहित चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के पत्थर नम्बर 106/231 के किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 व पत्थर नम्बर 106/232 के किला नम्बर 3, 7/. 215, 7, 8, 11/.024 12/.076, 13/.025 तादादी 2.872 हैक्टेयर भूमि का खातेदार है तथा राजस्व अभिलेख में 1.012 हैक्टेयर की बजाए 2.872 हैक्टेयर भूमि का अंकन अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। चक 15 एलएलडब्ल्यू (ए) के खाता संख्या 66/43 में रामदेव पुत्र पन्नाराम, छोटूराम पुत्र पन्नाराम, मनीराम पुत्र मामराज, सुन्दर जोजा वीरबल, फूसाराम, मनीराम, सुरजाराम, नानूदेवी, मीरांदेवी, कलावती का नाम विलोपित फरमाया जावे। वादी सुभाषचन्द्र एवं प्रतिवादी संख्या 23 गुरवचन सिंह ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर कथन किया कि मुताबिक राजीनामा चक 16 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 105/230 के किला नम्बर 6, 7, 14 वादी सुभाषचन्द्र व चक 15 एल.एल. डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 106/230 के किला नम्बर 20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 1, 10 पर वादी सुभाषचन्द्र का कब्जा है व प्रतिवादी संख्या 23 ने चक 15 एल.एल.डब्ल्यू.ए. में प्रतिवादी संख्या-1 के हक हिस्सा की 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि रजिस्टर्ड वैयनामा दिनांक 03.02.2012 के जरिये खरीद की गई है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या-23 का चक 15 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के खाता संख्या 66/43 रामदेव पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर व छोटूराम पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज 1.252 हैक्टेयर व मनीराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज 0.102 हैक्टेयर तादादी 1.860 हैक्टेयर भूमि पर अर्सा 30 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। वादी सुभाषचन्द्र प्रतिवादी संख्या-23 गुरवचन सिंह को उसके पुराने कब्जे के आधार पर विधि अनुसार खातेदार होना स्वीकार करता है तथा चक 16 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 105/230 किला नम्बर 6, 7, 14 व चक 15 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 106/230 के किला नम्बर



Levio
राजस्व अपील प्राधिकारी.
हनुमानगढ़.

20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 का किला नम्बर 1, 10 कुल तादादी 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी सुभाषचन्द्र खातेदार है तथा चक 15 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 106/231 के किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 व पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3, 7/.215, 8, 11/.024, 12/.076, 13/.025 तादादी 2.872 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या-23 गुरबचन सिंह खातेदार है तथा इसी मुताबिक खाता विभाजन अलग करवाने के अधिकारी हैं तथा उक्त खाता संख्या 66/43 में रामदेव पुत्र पन्नाराम व छोटूराम पुत्र पन्नाराम, मनीराम वल्द मामराज, सुन्दर जोजा बीरबल, फूसाराम, मनीराम, सुरजाराम, नानूदेवी, मीरां देवी, कलावती का नाम विलोपित किया जावे व मुताबिक राजीनामा डिक्री प्रदान की जावे। प्रतिवादी संख्या-23 गुरबचन सिंह की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने पर दिनांक 29.12.2021 को राजीनामा तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद सुनने बहस वाद पत्र वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या-23 अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2022 के विरुद्ध अपीलांत गुरबचन सिंह व सुभाषचन्द्र ने इस न्यायालय में दोनों अपीलें धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। दौराने अपील अपीलांत गुरबचन सिंह व रेस्पोंडेंट संख्या-1 की ओर से दोनों अपीलों में पृथक पृथक राजीनामा पेश किया गया कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 15 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के खाता संख्या 66/43 के पत्थर नम्बर 106/230 (9) के किला नम्बर 20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 (10) के किला नम्बर 1, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 व पत्थर नम्बर 106/232 (19) के किला नम्बर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 5.022 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि गुरबचन सिंह पुत्र हरी सिंह व मिटू सिंह की 1.012 हैक्टेयर खरीदशुदा है। उपरोक्त खाता संख्या 66/43 में छोटूराम पुत्र पन्नाराम के नाम 1.252 हैक्टेयर व रामदेव पुत्र पन्नाराम के नाम 0.506 हैक्टेयर, मनीराम पुत्र मामराज के नाम 0.102 हैक्टेयर, सुरजाराम पुत्र मामराज के नाम 0.253 हैक्टेयर, सुलतान, कुम्भाराम, वंशीलाल, लालूराम, रामप्रताप के नाम 1.138 हैक्टेयर, सुन्दर जोजा वीरबल के नाम 2.478 हैक्टेयर, फूसाराम, सुरजाराम, मनीराम, नानूदेवी, मीरां देवी, कलावती, सुभाष के नाम 4.577 हैक्टेयर व सुभाष पुत्र पन्नाराम के नाम 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है व चक 16 एल.एल.डब्ल्यू.ए. के पत्थर नम्बर 105/229 (45) किला नम्बर 14, 17, 24, 25 व पत्थर नम्बर 105/230 (40) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14 व पत्थर नम्बर 105/231 (54) किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या-1 का उपरोक्त दोनों चकों में वर्णित कृषि भूमि का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा चक 16 एलएलडब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 105/230 के किला नम्बर 6, 7, 14 रेस्पोंडेंट संख्या-1 सुभाषचन्द्र व चक 15 एलएलडब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 106/230 के किला नम्बर 20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 किला नम्बर 1, 10 पर रेस्पोंडेंट संख्या-1 सुभाषचन्द्र का कब्जा है व अपीलांत ने चक 15 एलएलडब्ल्यू-ए में रेस्पोंडेंट संख्या-2 के हक हिस्सा की 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.02.2012 के जरिये खरीद की गई है। इसके अलावा अपीलांत का चक 15 एलएलडब्ल्यू-ए के खाता



L.S.D
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 66/43 रामदेव पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर व छोटूराम पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज 1.252 हैक्टेयर व मनीराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज 0.102 हैक्टेयर तादादी 1.860 हैक्टेयर भूमि पर अर्सा 32 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट संख्या-1 सुभाषचन्द्र व अपीलांट गुरबचन सिंह को उसके पुराने कब्जे के आधार पर विधि अनुसार खातेदार होना स्वीकार करता है तथा चक 16 एलएलडब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 105/230 किला नम्बर 6, 7, 14 व चक 15 एलएलडब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 106/230 के किला नम्बर 20, 21 व पत्थर नम्बर 106/231 का किला नम्बर 1, 10 कुल तादादी 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि का रेस्पोंडेंट संख्या-1 सुभाषचन्द्र खातेदार है तथा चक 15 एलएलडब्ल्यू-ए के पत्थर नम्बर 106/231 के किला नम्बर 9, 11, 12, 19 ता 23 व पत्थर नम्बर 106/232 किला नम्बर 3, 7/0.215, 8, 11/0.024, 12/0.076, 13/0.025 तादादी 2.872 हैक्टेयर भूमि का अपीलांट गुरबचन सिंह खातेदार है तथा इसी मुताबिक खाता विभाजन अलग करवाने के अधिकारी है तथा उक्त खाता संख्या 66/43 में रामदेव पुत्र पन्नाराम व छोटूराम पुत्र पन्नाराम, मनीराम वल्द मामराज, सुन्दर जोजा बीरबल, फूसाराम, मनीराम, सुरजाराम, नानूदेवी, मीरादेवी, कलावती का नाम विलोपित फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री प्रदान की जावे।

2. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध होने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट गुरबचन सिंह का सुभाषचन्द्र के साथ राजीनामा हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा भी तस्दीक किया गया। इस न्यायालय में भी दोनों पक्षों ने लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत खाता अपवादित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भू-अभिलेख हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई तथा जिसमें अपीलांट गुरबचन सिंह के आधिपत्य व धारण में चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नम्बर 106/231 (10) किला नम्बर 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 व पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नं. 3, 7/.215, 8, 13/.025 कुल 2.770 हैक्टेयर कृषि भूमि व सुभाषचन्द्र के आधिपत्य व धारण में पत्थर नम्बर 106/230 (9) किला नम्बर 20, 21 106/231 (10) किला नम्बर 1, 10 तादादी 1.012 हैक्टेयर व सुल्तान, कुम्भाराम, बंशीराम, लालूराम, रामप्रताप पिसरान बीरबल के आधिपत्य व धारण में पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11/.152, 12/.076 तादादी 1.240 है० कृषि भूमि दर्शायी है तहसीलदार राजस्व की यह स्पष्ट रिपोर्ट थी कि कॉलम संख्या-2 में दर्ज खातेदारान के अलावा अन्य कोई खातेदार मौके पर काशत नहीं कर रहा है व कॉलम संख्या 2 में दर्ज खातेदारान के अलावा अन्य खातेदारान का नाम हटाए जाने की अनुशंसा की गई। उक्त रिपोर्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्व:विवेक से मंगवाई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय की यह विवेचना कतई गलत है कि अपीलांट अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा हो। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम बखूबी साबित था तथा दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने की सूरत में मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित था तथा निवेदन किया कि अधीनस्थ



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे। दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 30.09.2022 को पारित हुई लेकिन अपीलाट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 20.02.2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर व दिनांक 21.02.2023 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ तथा अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने का निवेदन किया। अपीलाट सुभाष की ओर से भी अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाट सुभाष ने भी अपनी बहस में अपीलाट गुरबचन के तथ्यों को दोहराते हुए व दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए मुताबिक राजीनामा अपील मंजूर किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपीलों का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाते हे। दोनों अपीलों अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गुरबचन सिंह व सुभाष ने राजीनामा दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय में अपवादित कृषि भूमि खाता सं० 86की भूमि अपवादित खाता की है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भू-अभिलेख हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 व पटवारी हल्का, गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 16.03.2022 के आधार पर प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षण रोड़ावाली एवं पटवारी से मौका जांच करवाई गई तथा चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के खाता सं० 86 अपवादित खाता होने व उक्त खाता सं० 86 की भूमि जिसे उक्त रिपोर्ट के कॉलम सं० 1 में विवरण अंकित किया गया है व कॉलम सं० 2 में मौका पर कब्जा की स्थिति दर्शाई गई तथा उक्त रिपोर्ट में कॉलम सं० 2 में दर्ज खातेदारान के अलावा अन्य खातेदारान का नाम हटाये जाना प्रस्तावित किया। स्वयं तहसीलदार भू-धारक ने अन्य खातेदारों का नाम हटाये जाने की अनुशंसा की है तथा सुभाष व गुरबचन का जो पूर्व में काफी लंबा वाद चला का राजीनामा हो गया तो अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार को मद्देनजर रखते हुए डिक्री पारित की जानी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा एवं उक्त रिपोर्ट की कोई विवेचना नहीं की। इस न्यायालय में भी सुभाष एवं गुरबचन ने राजीनामा के संबंध में सहमति जताई है। अतः मुताबिक राजीनामा एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2022 दोनों अपीलों स्वीकार किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर मुताबिक राजीनामा 29.12.2021 एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2022 दोनों अपीलों स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2022 निरस्त किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2022 एवं राजीनामा दिनांक 29.12.2021 को मद्देनजर रखते हुए अपील सं० 98/2023 के अपीलाट गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ को तहसील हनुमानगढ़ के चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नम्बर 106/231 (10) किला नम्बर



Lario

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 व पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नं. 3, 7/.215, 8, 13/.025 कुल 2.770 हैक्टेयर कृषि भूमि का व अपील सं० 137/2023 के अपीलान्ट सुभाष पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोडकियां तहसील हनुमानगढ को चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नम्बर 106/230 (9) किला नम्बर 20, 21, प. नं. 106/231 (10) किला नम्बर 1, 10 तादादी 1.012 हैक्टेयर चक 16 एलएलडब्ल्यू 'ए' के प. नं. 105/230 किला नं. 6, 7, 14 तादादी .759 है० भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के खाता सं० 86 में वर्णित कमला देवी पत्नी कृष्ण लाल, कलावती पत्नी पन्नाराम, कालू राम पुत्र मनीराम, छोटूराम पुत्र पन्नाराम, राजपाल पुत्र पृथ्वीराज, रामदेव पुत्र पन्नाराम, सुन्दर पत्नी बीरबल, सुरजा पुत्र मामराज का नाम एवं उनके नाम दर्ज हिस्सा खाते से कलमजन किया जाता है। चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' खाता सं० 86 की शेष भूमि पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11/.152, 12/.076 तादादी 1.240 है० कृषि भूमि सुल्तान, कुम्भाराम, बंशीराम, लालूराम, रामप्रताप पिसरान बीरबल के नाम मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 दर्ज हो। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय व डिक्री की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 27.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



27/7/23
 (करतार सिंह पुनिया) आर.ए.एस.
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ
 हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बड़जलास करतार सिंह पूनियाँ आर०ए०एस०


(1) अपील संख्या -98 / 2023

गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एस.एस.डब्ल्यू, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम

- 1- सुभाषचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
—रेस्पोंडेंट / वादी
- 2- रामदेव पुत्र बख्तावर जाति मेघवाल निवासी बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला झुञ्झनू
- 3- छोटूराम } पिसरान रामदेव जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व
- 4- रामदेव } जिला हनुमानगढ़।
- 5- जीवनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6- भूरीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 7- रजो देवी पुत्री सुरजाराम पत्नि पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 8- कुम्भाराम } पिसरान बीरबल जाति मेघवाल निवासी चिस्तियां तहसील व
- 9- बंशीलाल } जिला हनुमानगढ़।
- 10- लालूराम
- 11- बिदामी पत्नी सुलतान } जाति मेघवाल निवासी चक नम्बर-14
- 12- जगदीश } पिसरान सुलतान } एल.एल.डब्ल्यू. (जोड़कियां) तहसील व
- 13- बालीराम } जिला हनुमानगढ़।
- 14- बिरमा पुत्री सुलतान पत्नी देवप्रकाश जाति मेघवाल (चालिया) निवासी वार्ड नम्बर-6, खारा चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 15- रजनी देवी पुत्री सुलतान पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल (बरोड़) साकिन चक 4 एम. एस.आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 16- संतरो पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 17- सरोज पुत्री रामप्रताप पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल (डालू) साकिन मम्मड़खेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 18- कालूराम पुत्र स्व.मनीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 19- भागवंती देवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी स्व.भागीरथ जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 20- जैतादेवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 21- कमलादेवी पत्नी स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



- 22- राजपाल पुत्र स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 23- पुष्पादेवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 24- रानीदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी विनोद जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 25- मन्जूदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी मलोकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 26- संतो पुत्री फूसाराम पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी एक पावली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
- 27- अमरचन्द पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी राईयांवाली (बीरदवाल हैड के पास) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 28- मीरादेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 29- प्रबंधक, ओ.बी.सी. कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 30- तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंट



अपील संख्या -137 / 2023

सुभाषचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
— अपीलांट

बनाम

- 1- रामदेव पुत्र बख्तावर जाति मेघवाल निवासी बिड़ोदी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला झुन्झनू
- 2- छोटूराम } पिसरान रामदेव जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व
- 3- रामदेव } जिला हनुमानगढ़।
- 4- जीवनराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 5- भूरीदेवी पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 6- रजो देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी खिचियां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 7- कुम्भाराम } पिसरान बीरबल जाति मेघवाल निवासी चिस्तियां तहसील व
- 8- बंशीलाल } जिला हनुमानगढ़।
- 9- लालूराम }
- 10- बिदामी पत्नी सुलतान } जाति मेघवाल निवासी चक नम्बर-14
- 11- जगदीश } पिसरान सुलतान } एल.एल.डब्ल्यू (जोड़कियां) तहसील व
- 12- बालीराम } जिला हनुमानगढ़।
- 13- बिरमा पुत्री सुलतान पत्नी देवप्रकाश जाति मेघवाल (चालिया) निवासी वार्ड नम्बर-6, खारा चक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 14- रजनी देवी पुत्री सुलतान पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवाल (बरोड़) साकिन चक 4 एम. एस.आर. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

~

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़।

- 15- संतरो पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चिरितयां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 16- सरोज पुत्री रामप्रताप पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल (डालू) साकिन मम्मडखेड़ा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 17- कालूराम पुत्र स्व.मनीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 18- भागवंती देवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी स्व.भागीरथ जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 19- जैतादेवी पुत्री स्व.मनीराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 20- कमलादेवी पत्नी स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 21- राजपाल पुत्र स्व.पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी ढाबां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 22- पुष्पादेवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 23- रानीदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी विनोद जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 24- मन्जूदेवी पुत्री स्व.पृथ्वीराज पत्नी सोनू जाति मेघवाल निवासी मलोकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 25- संतो पुत्री फूसाराम पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी एक पावली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
- अमरचन्द पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी राईयांवाली (बीरदवाल हैड के पास) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
- 27- * मीरादेवी पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 28- प्रबधक, ओ.बी.सी. कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 29- तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 30- गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एस.एस.डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2021
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
अनवान "सुभाषचन्द्र बनाम रामदेव आदि" प्र. सं. 08/2012

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री, राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलांत अपील सं0 2023/98, श्री विपिन स्वामी अधिवक्ता अपीलांत अपील सं0 2023/137 की बहस समायत की जाकर मुताबिक राजीनामा 29.12.2021 एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2022 दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय

(Signature)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं डिक्री दिनांक 30.09.2022 निरस्त किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2022 एवं राजीनामा दिनांक 29.12.2021 को मद्देनजर रखते हुए अपील सं० 98/2023 के अपीलाण्ट गुरबचन सिंह पुत्र श्री हरीसिंह उर्फ मिठू जाति बाजीगर निवासी 9 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ को तहसील हनुमानगढ़ के चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नम्बर 106/231 (10) किला नम्बर 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 व पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नं. 3, 7/.215, 8, 13/.025 कुल 2.770 हैक्टेयर कृषि भूमि का व अपील सं० 137/2023 के अपीलाण्ट सुभाष पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोडकियां तहसील हनुमानगढ़ को चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के पत्थर नम्बर 106/230 (9) किला नम्बर 20, 21, प. नं. 106/231 (10) किला नम्बर 1, 10 तादादी 1.012 हैक्टेयर चक 16 एलएलडब्ल्यू 'ए' के प. नं. 105/230 किला नं. 6, 7, 14 तादादी .759 है० भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के खाता सं० 86 में वर्णित कमला देवी पत्नी कृष्ण लाल, कलावती पत्नी पन्नाराम, कालू राम पुत्र मनीराम, छोटूराम पुत्र पन्नाराम, राजपाल पुत्र पृथ्वीराज, रामदेव पुत्र पन्नाराम, सुन्दर पत्नी बीरबल, सुरजा पुत्र मामराज का नाम एवं उनके नाम दर्ज हिस्सा खाते से कलमजन किया जाता है। चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' खाता सं० 86 की शेष भूमि पत्थर नम्बर 106/232 (19) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11/.152, 12/.076 तादादी 1.240 है० कृषि भूमि सुल्तान, कुम्भाराम, बंशीराम, लालूराम, रामप्रताप पिसरान बीरबल के नाम मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 दर्ज हो। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ के आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.07.22 को जारी की गई।



Lesio
27/7/22
(करतारसिंह आनंदप्रसाद) एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़